न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26/2010

विश्राम आदि

बनाम

धर्मसिंह आदि

आदेश दिनांकः 13.1.2026

यह आदेश उपरोक्त वर्णित प्रकरण में अंकित प्रतिवादी संख्या 5 – भूर सिंह – की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 10 सी.पी.सी. पर पारित किया जा रहा है । अपने प्रार्थना पत्र में भूर सिंह द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगण ने इस वाद में प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 5 बतौर प्रतिवादी संयोजित किया हुआ है, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध किसी प्रकार का वादकारण दर्ज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत रिजैक्ट किए जाने योग्य है । आगे कथन किया गया है कि स्व. विश्राम ने वादग्रस्त आराजियात् में से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 3.12.2009 को भूर सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय किया है, जिसका नामान्तकरण भी भूर सिंह के हक में दर्ज हो चुका है और क्रयशुदा भूमि पर भूर सिंह का ही कब्जा चला आ रहा है । स्व. विश्राम के वारिसों ने इस विक्रयपत्र को निरस्त कराने बाबत वरिष्ठ सिविल न्यायालय, गंगापुर सिटी में एक वाद उनकानी मय्यी आदि बनाम भूर सिंह प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है, भूर सिंह के हक में हुए विक्रयपत्र को वरिष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:47:52 IST
Reason: Self Attested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

सिविल न्यायालय द्वारा ही देखा जावेगा । इस पंजीकृत विक्रयपत्र के पश्चात् ही भूर सिंह को पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर ही पक्षकार बनाया गया है, ऐसी स्थिति में किसी विक्रयपत्र के आधार पर जब सक्षम न्यायालय में विक्रयपत्र के विरूद्ध मामला पैण्डिंग है तो अदालत हाजा को विक्रयपत्र के बाबत वरिष्ठ सिविल न्यायालय, गंगापुर सिटी में चल रहे प्रकरण के निस्तारण होने से पूर्व हस्तगत वाद पत्र चलने योग्य नहीं है और बार्ड बाई लॉ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य होने से वादीगण का वाद पत्र रिजैक्ट किया जावे ।

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से इस प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस की गई है ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया है कि प्रार्थी भूर सिंह को प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है । पत्रावली को देखने से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि भूर सिंह को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संयोजित किए जाने के पश्चात् वादीगण द्वारा अथवा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा पेश किए गए काउण्टर क्लेम में अपनी ओर से संशोधित वाद पत्र आज दिनांक तक पेश नहीं किया गया है । संपूर्ण पत्रावली को देखने से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादीगण द्वारा प्रार्थी भूर सिंह के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

वादकरण ही अंकित नहीं किया गया है । वादकारण के अभाव में विधि अनुसार दावा या प्रति दावा किसी भी रूप में संचलन योग्य नहीं होता है । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति के सम्बन्ध में हुए पंजीकृत विकयपत्र को निरस्त कराने के सम्बन्ध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, गंगापुर सिटी के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में भी हस्तगत वाद पत्र व काउण्टर क्लेम चलने योग्य नहीं हैं । उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया काउण्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं । तदनुसार वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया काउण्टर क्लेम खारिज किए जाते हैं । प्रार्थना पत्र का निस्तारण तदनुसार किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 13.1.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
(प्रियंका कड़ेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:47:52 IST
Reason: SelfAttested